

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार (बून्दी)

सरकार बनाम / श्री. पालम / बृ. प्रदेव बेटा - पुत्रे काका

निर्णय

मु.नं. 36/2018 तारीख रजू. 15-1-2018 तारीख निर्णय 29/1/2018
आज पत्रावली व मुकाम इतरम केवा देव मारवीदा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है/नहीं है। रिपोर्ट पटवारी गांव मारवीदा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री. श्री. पालम पुत्र श्री. बृ. प्रदेव बेटा जाति बेटा निवासी लडा 2951 द्वारा आराजी खसरा नं. 324 रकबा 0.50 किस्म जमीन काठ मौजा अण्णुवासा पर संवत् 2074 में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन 1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री. श्री. पालम को आराजी खसरा नं. 324 रकबा 0.50 मौजा अण्णुवासा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 7.00 से उक्त रकबा लगान 3.50 का 50 गुना में शारित 175 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

दिनांक 29/1/2018

नायब तहसीलदार
इतहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील इन्द्रगढ़